8-7-2015 पत्रावली अंतर्गत राजस्व लोक अदालत/ कैम कोर्ट मेटल सेवा केन्द्र गुरुग्राम पंचाला पर प्रस्तुत हुयी वादी के पुत्र रामेशलाल के नोटिस तामील हो चुका है प्रतिवादीगण 1 ता 4 उपस्थित/ वादी के समक्ष मुकामपान में एक-2 कर बार-2 आवाज लगाई गई वादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः वाद वादी अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रफा दफा की जाये। दफ्तर दाखिल हो।

Scanned by CamScanner